39

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र

असाधारण

साधिकार प्रकाशित

R.N.I. No.- RAJ BIL/2000/1717

POSTAL REGD. No.-J.P.C./3588/02/03-05

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

कार्तिक 1, गुरुवार, शाके 1930--अक्टूबर 23, 2008

Kartika, 1, Thursday, Saka 1930--October 23, 2008

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 13, 2008

संख्या प.3(19)वन/2006:—वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53), जो कि भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ 11014/3/72—एफ.आर.वाई/डब्ल्यू.एल. एफ. दिनांक 1 सितम्बर, 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 36ए के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार टोंक जिले के टोडारायसिंह एवं देवली तहसील में स्थित आरक्षित वन खण्ड टोडारायसिंह, रक्षित वन खण्ड राजमहल, आरक्षित वन खण्ड पातलिया की डूंगरी एवं आरक्षित वन खण्ड माताजी की डूंगरी जो राज्य सरकार की अधिसूचनाएं क्रमशः क्रमांक एफ.7(173)रेवेन्यू/क/64 दिनांक 18-8-1964, क्रमांक एफ.7 (146) रेवेन्यू/क/64 दिनांक 14-7-1964, क्रमांक एफ.7 (173) रेवेन्यू/क/64 दिनांक 28-8-1964 एवं क्रमांक एफ.7 (173) रेवेन्यू/क/64 दिनांक 18-8-1964 से आरक्षित रक्षित वन खण्ड घोषित किये जा चुके हैं, की निम्न अनुसूची में वर्णित आरक्षित एवं रक्षित वन भूमि को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पतीय भू-संरचना सम्बधित नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा "कन्जरवेशन रिजर्व" घोषित करती है, जिसे भविष्य में "बीसलपुर कन्जरवेशन रिजर्व" के नाम जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या जारी किये गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा:-

अनुसूची – I

उत्तरी सीमा	–	आरक्षित वन खण्ड टोडारायसिंह की उत्तरी वन सीमा। नजदीकी ग्राम कस्बा टोडारायसिंह।
पश्चिमी सीमा	–	आरक्षित वन खण्ड टोडारायसिंह, की पश्चिमी वन सीमा। नजदीकी ग्राम कस्बा टोडारायसिंह, थडोली, डूब क्षेत्र बीसलपुर।
दक्षिणी सीमा	–	आरक्षित वन खण्ड टोडारायसिंह, की दक्षिणी वन सीमा।
पूर्वी सीमा	–	आरक्षित वन खण्ड टोडारायसिंह की पूर्वी वन सीमा। नजदीकी ग्राम बगडी, वस्सी, सालग्याघास रामपुरा, बोदून्दा।
क्षेत्रफल	–	3667.13 हैक्टेयर या 36.67 वर्ग कि.मी.

अनुसूची – II

उत्तरी सीमा	–	रक्षित वन खण्ड राजमहल एवं आरक्षित वन खण्ड पातलिया की डूंगरी की उत्तरी वन सीमा।
पश्चिमी सीमा	–	आरक्षित वन खण्ड पातलिया की डूंगरी एवं रक्षित वन खण्ड राजमहल की पश्चिमी वन सीमा। नजदीकी ग्राम डूब क्षेत्र बीसलपुर बान्ध (315.15 मी.)
दक्षिणी सीमा	–	रक्षित वन खण्ड राजमहल एवं आरक्षित वन खण्ड माताजी की डूंगरी की दक्षिणी वन सीमा। नजदीकी ग्राम राजमहल, ककोडिया।
पूर्वी सीमा	–	रक्षित वन खण्ड राजमहल एवं आरक्षित वन खण्ड माताजी की डूंगरी की पूर्वी वन सीमा। नजदीकी ग्राम राजमहल, ककोडिया।
क्षेत्रफल	–	1163.64 हैक्टेयर या 11.64 वर्ग कि.मी.।

विशेष विवरण—उपरोक्त सीमाओं के मध्य बीसलपुर डेम हेतु प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र, बीसलपुर बायीं नहर, डूब में आया वन क्षेत्र बनास नदी का राजस्व क्षेत्र तथा वन खण्डों में स्थित सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, सड़कें, धर्मशाला, रास्ते, बिजली की लाईन, पानी की लाईन, डेम, नहरे इत्यादि कन्जर्वेशन रिजर्व के बाहर का क्षेत्र होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बी. एल.आर्य,

शासन सचिव।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अक्टूबर 13, 2008

संख्या प. 3(19)वन/2006 :--वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 36बी(1) के तहत "बीसलपुर कन्जरवेशन रिजर्व" के संरक्षण, प्रबन्ध एवं रख-रखाव के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को परामर्श देने के लिए निम्न सदस्यों की एक कमेटी का एतद्द्वारा गठन किया जाता है :—

1.	सरपंच, ग्राम पंचायत, कंवरावास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक	सदस्य
2.	सरपंच, ग्राम पंचायत, बस्सी, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक	सदस्य
3.	सरपंच, ग्राम पंचायत, बोटून्दा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक	सदस्य
4.	सरपंच, ग्राम पंचायत, धडोली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक	सदस्य
5.	सरपंच, ग्राम पंचायत, राजमहल, तहसील देवली, जिला टोंक	सदस्य
6.	सरपंच, ग्राम पंचायत, गांवडी, तहसील देवली, जिला टोंक	सदस्य
7.	अध्यक्ष, नगरपालिका, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक	सदस्य
8.	अध्यक्ष, दीपज्योति शिक्षा समिति, मांवता, टोडारायसिंह (स्वयंसेवी संस्था)	सदस्य
9.	अध्यक्ष, श्री दादू पर्यावरण संस्थान, रानीपुरा, तहसील उनियारा, जिला टोंक (स्वयं सेवी संस्था)	सदस्य
10.	मानद सचिव, नेचर क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर (स्वयं सेवी संस्था)	सदस्य
11.	पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, टोडारायसिंह जिला टोंक	सदस्य
12	सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, टोडारायसिंह, जिला टोंक	सदस्य
13.	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग, देवली	सदस्य सचिव

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 36 बी(3) के अनुसार उक्त कमेटी अपना अध्यक्ष स्वयं चुनेगी तथा "बीसलपुर कन्जरवेशन रिजर्व" के संरक्षण, प्रबन्ध एवं रख रखाव के लिए Procedure, कार्यकाल एवं कोरम का निर्धारण करेगी।

आज्ञा से,
बी. एल. आर्य,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।